टेलीविजन और सिनेमा के द्वारा बच्चों तक पहुंचती है, उसकी वजह से बच्चों के दिमाग पर, बच्चों के मन पर कुप्रभाव पड़ता है। कानून बने हुए हैं, उन्हें सख्ती से लागू होना चाहिए।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने भी उन्हें कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है समाज में परिवर्तन हो, कानून के द्वारा भी, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे बंद हों। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Constitution One Hundred and Fourth (Amendment) Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Bill, 2005, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st December, 2005, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION —*(contd.)*
Atrocities on Women in the Country

श्री उपसभापति: जमना देवी जी, आप। ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (**उड़ीसा**): सर, इनका कल होगा, तो ठीक रहेगा।

प्रो.अलका क्षत्रिय: सर, लास्ट स्पीकर हैं, बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति: ठीक है, जरा संक्षिप्त में बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (**पश्चिमी बंगाल**): पाणि जी का भी नाम है।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, , Shri Rudra Narayan Pany has been kind enough to withdraw his name.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहां विदड्रा किया है? सत्ता पक्ष की इतनी लंबी लिस्ट है, हमें भी मौका दें।

श्री उपसभापति: नहीं, अहलुवालिया जी बोल लिए हैं आपकी तरफ से।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर अहलुवालिया जी बोले ठीक है। हमारा भी फर्ज बनता है।

श्री उपसभापति: आप जमना देवी जी को बोलने दीजिए। महिला सदस्य बोल रही हैं।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान): माननीय उपसभापति जी, धन्यवाद, जो आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर, महिलाओं और दलित महिलाओं के विषय में बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इसी मंच से कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरे जैसी दलित महिला को दलित महिलाओं की समस्याओं के बारे में कुछ कहने के लिए यहां भेजा। इसी के साथ ही मैं सदन का भी धन्यवाद करती हूं। मुझे महिलाओं और दलित महिलाओं के पक्ष मे कुछ थोड़ा सा कहना है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और सदन में जो सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, उनसे कहूंगी कि आप मेहरबानी करके थोड़ा मुझे पर रहम खाएं, ताकि मैं कुछ बोल सकूं।

महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आज हमारे देश में भारतीय संस्कृति का विसर्जन हो रही है और पाश्चात्य सभ्यता आगे आ रही है, चाहे वह टेलीविजन के पर्दे की बात हो, फैशन की बात हो। इनमें वे महिलाएं भी हैं, जो बहुत कुछ जिस तरह से निकलती हैं, वह भी एक शर्मनाक है। मैं उनको भी कहे बिना नहीं रहूंगी। आज के जमाने में लोग तड़क-भड़क को पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आज दहेज प्रथा भी अत्याचार बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मैं बीकानेर के सभी आंकड़ों के बारे में तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझसे पहले बहुत बड़ी बड़ी विद्धान महिला सांसदों ने और विद्धान पुरुष सांसदों ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। हमारे यहां एक बच्ची की शादी पाकिस्तान से आए हुए एक सुनार हिन्दू लड़के से हुई थी। एक साल तक तो वे साथ में रहे, लेकिन पांच-छह लाख के बीच का दहेज के रूप में जो उने धन मिला था, उसे लेकर वह दिल्ली आ गया। उसकी रिपोर्ट हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री साहिबा से की, महिला आयोग की अध्यक्षा से की और यहां दिल्ली के होम मिनिस्टर साहब से की। और दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब से भी की। हमारे गृह मंत्री जी ने इतना किया कि पुलिस को आगाह भी नहीं किया और पुलिस ने उसे दिल्ली में आते-जाते गिरफ्तार भी किया, लेकिन देख करके भी उस व्यक्ति को

पकड़ा नहीं और न ही उसे सजा दी। महिलाओं के पक्ष में यह बहुत ही शर्म की बात है। लड़की वाले बहुत समय तक परेशान रहे। यह एक ही ऐसी बात नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं और पुलिस में सब जगह फरियाद करने के बावजूद भी उसका प्रभाव नहीं होना महिलाओं के लिए बहुत पीड़ाजनक बात है।

अभी दो-चार महीने पहले बीकानेर में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई कि आठ-दस वर्ष की एक दलित बच्ची के साथ एक प्रभावशाली वर्ग के युवक ने बलात्कार किया और जब वे गरीब लोग थाने में गए, या मेरे पास आए तो उन्हें धमकियां दी गईं कि हम तुम्हार घर जला देंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। लेकिन मैं तो डरने वाली नहीं थी। मैं ने कहा, "भैया" मैं तो उस बाप की बेटी हूं कि तू मुझे अगर सरेआम भी जला दें, मैं तो यह मुद्दा संसद तक भी ले जाने के लिए तैयार हूं, मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है।

आजकल ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने आते हैं। कहीं महिलाओं को दहेज के कारण जलाया जाता है, मुझ से पहले कई महिला सांसदों ने बहुत सी बातें कहीं, मैं दोबारा उन्होंने दोहरा कर अपनी बात थोड़े में ही कहूंगी। आज महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं और अधिकतर जो दलित महिलाएं हैं, वे तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उन पर अत्याचार अधिक होता है, फिर विषय चाहे खेती का हो या कुछ और। वे खेत में, खलिहान में या कहीं भी जाती हैं, तो उन पर बहुत अधिक अत्याचार होते हैं और बलात्कार, यह शब्द बार-बार यहां इस्तेमाल करने में मुझे स्वंय भी शर्म आती है, लेकिन वे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, जो हिन्दुस्तान की आजादी के 58 वर्ष बाद आज भी घुंघट में लिपटी-सिमटी हुई और बड़ों का आदर करते हुए रहती हैं। वह किसी को घर आकर यह नहीं बताती हैं कि किस प्रभावशाली व्यक्ति या जागीरदार ने उसकी इज्जत को लूट लिया, वह यह कहने में शर्माती है। अगर वह थाने में जाकर रिपोर्ट भी करती है तो लोग आज इतने निर्लज्ज, इतने एडवांस्ड और इतने बेशर्म हो गए हैं कि उसे कहते हैं कि हम जो तुमसे पूछेंगे उनके ऐक्शन बताओ। क्या उसमें तुम्हारी रजामंदी तो नहीं थी? अब आप ही सोचिए कि जो महिला घुंघट में है, जिसे बोलना भी नहीं आता है, वह क्या ऐक्शन बताएगी। इसलिए इन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से, हमारे माननीय गृह मंत्री जी से जो यहां बैठे हैं, यह आग्रह करूंगी कि आजादी के 58 वर्ष बाद भी यह हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात और दुख की बात है, जिसके बारे में हमें रोज रोज यहां चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है और आप लोगों के आगे इन बातों को कहना पड़ता है।

आज दलित महिलाए....., स्वर्गीय राजीव गांधी....., स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम तो यदि प्रातःकाल लिया जाए तो मैं सोचती हूं कि पूरा दिन सुखद निकलता है, जिन्होंने महिलाओं को पंचायती राज निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर यहां बोलने के लायक बनाया। श्री राजीव

गांधी के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाठशालाएं बनी हैं, वहां ऐसा सुनने में आता हैं कि महिला परित्यक्ता और दलित महिलाओं को आरक्षण के तहत नौकरी दी जाती है। मैं एक ऐसी ही महिला को वहां लेकर गई जो विधवा थी, पहले तो उन्होंने बताया था कि हम विधवाओं को ही नौकरी देते हैं, जब मैंने कहा कि यह विधवा है, नौकरी दीजिए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो परित्यक्ताओं को नौकरी देते हैं, जब हमने कहा कि ठीक है, यह परित्यक्ता भी तैयार है...। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ट्रेनिंग शुदा महिला को नौकरी देंगे। तो हमने कहा कि यह भी तैयार है। उनके पास मैं तीनों महिलाएं बार बार लेकर गई तो आखिर में उन महोदय जी ने मैं इनका नाम नहीं लेना चाहती, तो आखिर में वह बोले कि अब तो नौकरी खत्म हो गई है हम पहले क्यों नहीं आए। तो क्या यह सारी घटनाएं दलित महिलाओं और विधवाओं के साथ में होती है तो जो बड़े दुख की बात है। मैं एक दूसरी घटना बताऊंगी कि खाजूवाला क्षेत्र में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और बोर्डर एरिया का क्षेत्र है और जहां ऐसे लोग ज्यादा खेती करते हैं, तो मैं और बीकानेर के एक विधायक भीमसैन चौधरी जी, साथ-साथ गांव में जाते थे तथा वहां यह कहते कि अब जमाना बदल गया है और बच्चियों की शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी लड़कों की, क्योंकि बच्ची एक पढ़ती है और तीन घर सुधारती है-पीहर का भी, ससुराल का भी और आने वाली पीढ़ी का भी, तो हमने कहा कि आप इन बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजो। सर इसमें अफसोस की बात यह रही कि उस ९ वर्ष की बच्ची को मैं जिस स्कुल में दाखिला दिलाकर आई तथा इसके एक महीने के बाद में वही बच्ची और उसके माता-पिता रोते हुए आकर मेरे बाहर की चौकी पर आकर बैठ गए और यों सिर पिटने लगे कि आप अगर यह प्रेरणा नहीं देती तो आज मेरी बेटी की इज्जत नहीं लूटती। वह मासूम बच्ची जिसको बोलने का भी लहजा नहीं, तथा उसके मां-बाप को भी कुछ कहने का लहजा नहीं कि यह घटना कैसे घट गई। उस लहुलुहान बच्ची को फिर हमने अस्पताल में दाखिल कराया। अब हम यहां यह ही कहेंगे कि -"हाय रे नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखें में पानी।"

इतने वर्षों तक भी क्या ऐसी ही दशा महिलाओं की बनी रहेगी जो कि सबके सामने रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया तथा बातें और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं सारी बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती क्योंकि समय हो गया है तथा आपने समय मुझे दिया उसके लिए आपका और सारे सदन का धन्यवाद करती हूं। (समाप्त)

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद उपसभापति महोदय, आज एक गंभीर विषय पर हम यहां जो डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वास्तव में इस विषय को काफी डॉल्यूट किया गया। फिर भी हमारी आज की इस चर्चा के आखरी समय में हम पहुचें हुए हैं। वैसे आज के दिन की विशेषता है कि महिलाओं के बारे में हम यहां पर जो डिस्कसन कर रहे हैं, आज इस सदन की हमारी एक

सीनियर महिला मेंबर माननीय श्रीमती बिम्बा रायकर का जन्म दिन है। आज उनका बर्थडे है और आज एक महिला मैंबर माननीय रभ्मती बिम्बा रायकर का जन्म दिन है आज उनका बर्थडे है और आज एक महिला मेंबर के जन्म दिन पर हम यह चर्चा कर रहे हैं। महोदय, यह मामला गंभीर है लेकिन इसको ऐसे ही पलिटिकलाइज कर दिया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी चित्रित किया गया। यह अन्यन्त दुर्भाग्य की बात है, यह अत्यन्त गलत बात है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने पुत्र और पुत्री के बीच कोई अंतर नहीं है, ऐसी बात कहने के कारण उन्हें पूरी के जगदूगुरू शंकराचार्य जी से गाली खानी पड़ी थी। वाजपेयी जी का यह रिकार्डिड स्टेटमेंट है। एक बार उन्होंने कहा था कि कहा जाता है पत्रार्थ कियते भार्या परन्तु इसको हम प्रतिअर्थ पुतअर्थे कियते भार्या, हम ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। तो इसी कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरी के जगद्गुरू शंकराचार्य जी से गाली खानी पड़ी थी और आप कहते हैं कि यह पार्टी महिला विरोधी है। महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। आज पांच राज्यों में हमारी पार्टी की सरकार है जिनके 5 मुख्य मंत्रियों में से एक महिला मुख्य मंत्री है। महोदय सत्ता पक्ष को पूछिए कि सत्ता के कितने राज्य है और उनमें महिला मुख्य मंत्रियों का कितना अनुपात है। आज संयोग से उनकी पार्टी में भी काफी घटनाएँ घटती हैं, हमारे यहां जो घटना घटी है इसमें हमारी एक नेत्री का नाम लिया जाता है। उनको पता होना चाहिए। आज हमारी * के बारे में इस सदन में बोले हैं। महोदय, मैं नाम नहीं लेता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, उसी मध्य प्रदेश में एक नेत्री थी, यह पार्टी उनको लोक सभा में लाई थी, लेकिन पांच साल पूरे नहीं करने दिये। वर्ष 1996 के चुनाव में आज के सत्ता पक्ष की पार्टी एक महिला नेत्री को मध्य प्रदेश से लोक सभा का चनाव जिसको लाई थी। लेकिन एक साल में, वर्ष 1997 में उनको कहा गया कि तुम त्याग पत्र दे दो। इस प्रकार का काम करने वाली पार्टी हमारी पार्टी का यह कहती है कि यह महिला विरोधी है। महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। राजस्थान में जो गोली कांड हुआ, उसके बारे में बताया गया राजस्थान में किसानों के ऊपर जो हुआ था, वह विषय एक एक अलग विषय है। किसी भी गोली कांड का हम समर्थन नहीं करते हैं। उसमें मुख्य मंत्री का क्या कसूर है? गोली तो वहां पर नैतात पुलिस चलाती है, क्या वहां पर किसी ने देखा था कि कोई महिला रसोई में बैठकर कुछ कर रही है, महोदय इस प्रकार की बातों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। राजस्थान की मुख्य मंत्री जो आज है, उनके शासन मेंम इस बात का भी प्रमाण है 15 दिन के अंदर जिस विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ था या ऐसा कुछ कांड हुआ था, उसमें शामिल लोगों को 15 दिन के अंदर सजा दे दी गई थी।

*Not recorded.

महोदय, आप जिस पवित्र आसन पर बैठे हैं, इस पवित्र आसन पर इस देश की एक महिला नेत्री बैठा करती थीं, लगभग 17 साल तक बैठी थी, उनके साथ इन लोगों का किस प्रकार का व्यवहार रहा है, यह भी आगे चलकर इतिहास बनेगी। इसीलिए गंभीर मसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में हमेशा सोचा जाना चाहिए। इस देश में 16 साल तक एक महिला प्रधान मंत्री रह चूकी है, उनके घर में भी कैसी घटना घटी, उनके उत्तराधिकारी तुल्य पुत्र एक हादसे में चले गये, उस बहू के प्रति भी क्या हुआ, यह भी आपको सोचना चाहिए। महोदय, इस विषय का कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 33 प्रतिशत आरक्षण अगर एनडीए के समय में नहीं हो पाया है, तो आप इसको लाइएं महिलाओं का आरक्षण अगर एनडीए के समय में नहीं हो पाया है, तो आप इसको लाइयें महिलाओं का आरक्षण जिला पंचायतों तक एक तिहाई हो गया है, एक तिहाई आरक्षण केवल लोक सभा में विधान सभा में ही नहीं, राज्य सभा में भी आपने महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करिये। जैसे जिला परिषद में होती है, रोटेशन हो जाता है, हर पांच साल में महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल तो लाइये महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थन देती है या नहीं इसके बारे में आपकोतब पता चलेगा। महोदय, महिलाओं की हर एक क्षेत्र में, हर प्रोफेशन में 50 प्रतिशत भागीदारी होनी चाहिए। इस दृष्टि से महिलाओं के लिए सशक्ति करण होना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिएं महिलाओं को अनुकुल प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे पिलानिया साहब ने कहा कि पुलिस में ज्यादा महिला होंगी तो अच्छा होगा जैसे राजीव शुक्ला जी ने कहा कि महिला पत्रकारों के प्रति कोई दुस्साहस नही कर पाता है, उसी प्रकार का हर एक प्रोफेशन में हर एक काम में कैसे महिलाएं आगे आयेंगी इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं के लिए कानून में सुधार किया जाये और महिलाओं के सशक्तिकरण के समय अगर शरीयत और मजहब भी बीच में बाधा डालता है, तो उसके लिए समान नागरिक संहिता के बारे में सोचा जाना चाहिए। महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय गृह मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने भी मुझे ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सर मेरे नाम का उल्लेख हुआ है। मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से केवल एक मिनट इस विषय पर बोलना चाहूंगा। हमारे देश में महिलाओं को देवी तुल्य माना गया है और महिलाओं के शोषण और अत्याचार के बारे में जो आज चर्चा हुई है, मैं सोचता हूं कि यह केवल चर्चा तक सीमित न रह जाये और न इसका राजनीतिकरण हो। आज यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहां क्या हो रहा है? बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि जहां जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कारगर कानून और उपाय किये जाने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील है और यह जो महिलाओं पर जुल्म-व-सितम जैसा

विषय है, वह भी बहुत संवेदनशील है। मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि 2004 की इंसीडेंस ऑफ क्राइम अगेंसट वूमैन की तालिका पर यदि हम गृष्टिपात करें तो एक बात बड़ी चौकाने वाली है और वह यह है कि अगर हम संख्या को देखें कि रेप केसिज कितने हुए हैं, डाओरी डेथ्स कितनी हुई है, सेक्सुअल हेरासमेंट के कितने केसिज हुए हैं, इम्मोरल ट्रेफिक के कितने प्रकरण हुए हैं, किडनैपिंग के कितने प्रकरण हुए हैं, इन सबसे ज्यादा यदि कोई संख्या है तो वह है –cruelty by husband and relatives. इस प्रकार अपनों से ही अपनों के साथ जल जुल्म-व-सितम होता है, अत्याचार होता है तो मैं सोचता हूं कि वह बहुत असहनीय और कष्टप्रद होता है। इस विषय में मैं सोचता हूं कि कानून के दायरे में अभी क्या किया जा सकता है और यदि और भी कानून बनाए जा सकें, उस विषय में क्या किया जाना चाहिए, अगर माननीय गृह मंत्री जी इस पर भी विचार करें तो मैं सोचता हूं कि आज के विषय में जो सभी आदरणीय सदस्यों ने भाग लिया है, उस चर्चा का कोई औचित्य निकल पाएगा। धन्यवाद।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATH): Sir, the debate has been very emotional, and the hon. Members have made very good points. By and large they have not made any political points, but they have tried to understand the problem and suggest as to how this problem can be tackled. For this, they should be congratulated and thanked.

One of the most important things, which should be borne in mind by all of us, is that in India women are respected, respected a great deal. Mother, daughter, sister, wife, all women are respected, and this is something which can, ultimately, help us also. But what is not done in India is also equally important. Women are respected, but they are not given the authority in the House, in the Government and in the society. They are respected; but they are not empowered. And, since the beginning, the struggle is going on for empowering the women --empowering the women economically, empowering the women socially and empowering the women politically. The struggle is going on, and the members of the same family sometimes are on the opposite side. The men are on the one side and the women are on the other side when the question of empowerment is taken up. It is very interesting to note that when for the first time the Sharada Bill was introduced, a lot of very enlightened souls opposed it. What did the Sharada Act propose? The Sharada Act proposed that women should have a right to divorce; that was socially empowering the women. Women should have a right

to own the property. It is very interesting to know that before the Hindu Succession Act was enacted, the women were allowed to purchase the property, but they were allowed to own the property.

Before that, women were not allowed even to possess the property, leave aside own the property. So, the Hindu Succession Act provided that women should be given the right to own and possess property. That was economically empowering the women. Afterwards, during the period of Shri Rajiv Gandhi's premiership, women were politically empowered. It was found that they were not able to come to local bodies, or, get elected to local bodies easily. That is why, it was provided by amending the Constitution that they would have 33 per cent seats reserved for them in Zilla Parishads, Panchayat Samitis, in corporations and in Gram Panchayats. And 33 per cent seats were given to them. That was politically empowering them. Now, we are considering as to how they can be empowered to have their legislative right and come to the State Legislatures and the Parliament. This is how the things have moved. They were respected, but they were not given authority or empowered. They were not given the authority. This is the difference, sir. Respect was given; but the authority was not given. This made a lot of difference to the lives of women in the country. That has to be very clearly understood. Whenever we are discussing issues of this nature, it is good to forget to which party we belong and try to understand the nature of the problem and try to suggest real solutions which can be had, so that if the problem is not entirely done away with, at least, it is reduced in its severity and some kind of relief is given. That should be our attitude and, fortunately, that has been the attitude of the Members in the House.

Sir, while discussing this issue, many cases were brought to the notice of this House. We will certainly remember those cases and try to give relief to the people who are really affected. But, ,it is not possible to come to correct conclusions by concentrating upon few separated, individual, cases as such. We shall have to take the totality into consideration.

Now, very Member in the House said that offences against women had increased. Yes, they have increased. But we shall have to understand in what fashion they have increased. In 1997, the total number of offences committed against women were 1,21,265. In 2004, this number has gone

up to 1,54,333.1 will admit that this number may not be correct. Maybe, there are more cases. Maybe, they are not registered and they are not noted. There are bound to be cases. But in the number of cases which are with us, in 1997 and in 2004 -- it is a period of eight years - how much is the increase? The increase is that of nearly 35,000 cases. How much is the increase in population? It is nearly ten crores. The increase in the number of cases is nearly 35,000. We are sorry that the number has not declined. We are sorry that this is happening and it shall be our duty to see that this does not happen, the number gets reduced. Yet, to put the case in a proper perspective, I would like to say that these are the figures. So let us not come to the conclusion that the number of offences committed against women has gone up. It has gone up, but when you look at this number against the background of the increase in population, which is equal to ten cases of people, probably, we can say that we, as a whole, not the Government or the Police - I am not talking about the Government and the Police because this cannot be done only by the Government and the Police... The entire society, others, the families, educational institutions, all have to contribute, and they have contributed. Now, this fact I would like to submit to this House very humbly, Sir.

Sir, the second point which I would like to put before this House relates to the persons who are responsible for committing this offence. Who commits this offence? Who is committing this offence? Sir, the analysis is very interesting. The offences against women are committed by their relatives more than the unknown persons. The offences against women are committed by the persons who are their employers; the offences against women are committed by their own friends. There are some persons who are unconnected, unrelated and they also are responsible for this. But, if you analyse these facts, you will come to know that the offences are committed by those who are near and close to women themselves, their family members. It is a very interesting thing. Shri - Pachouriji referred to that figure. It is a very interesting thing. I am giving the figures of 2004, and the figures of 2004 indicate that 1,53,333 offences were committed. Out of this number, 58,121 offences were committed by the husbands and relatives against women. One-thirds of the offences were committed by their relatives, by the husbands and their relatives. Now, the *saas* commits offences against her *bahu,* even

though she is a women, and the husband commits offence against his wife. Now, this is the figure, Sir. Now, this has also to be borne in mind. Why has this to be borne in mind? If this is happening, and if you really want to understand the problem, and if your want to control this problem, it is necessary to sensitise the members of the family that they should not allow these things to happen. If we expect the policeman, or, if we expect the governmental agency to enter the house and try to control what is happening inside the house, it will create a different kind of problem. So, this has to be understood. How many rapes were committed in 2004? Sir, 18,233 rapes were committed in 2004. It is very, very agonising to note that these rapes are committed. Some Members spoke about the relatives committing rape. The father, the brother, the brother-in-law are committing rapes. The analysis of this fact also goes to show that generally the small children were assaulted by those who were their near relatives, who were living in the family, who were having access to the children. Now, this is a reality which has very clearly to be understood. If we understand this reality, it will be possible for us to take some action. I am not going to say which State is more responsible for the offences. But, more than 50 per cent of the cases are from five States only. Fifty-five per cent of the cases are from five States. I will not give the names. I will talk to them personally because my intention is not to malign them. My intention is to highlight the problem that there the offences are being committed. Why? Maybe, because they are covered with forest areas; may be, because there the police is not available, or, the fear of the Government is not also visible and these offences are being committed. But, five States are responsible for more than 50 per cent of the cases. Now, having said this thing, Sir, I would like to say who are responsible for it. I have already said who are responsible for this. The relatives, the employers, the friends and the persons in power are responsible for this. This includes everybody. This may include the law enforcing agencies also. I am not excluding them also. They also are to some extent responsible. In the offices, the employers are responsible. In the fields, the owner of the lands are responsible for committing offence against female workers. This is the situation.

Who can help in this matter? Let us try to understand this. What can be done, who can help in this matter? Sir, I think, while discussing this issue we have discussed this issue as something which can be handled by the Home Ministry, the Police and the Government. There is no doubt

8.00 P.M.

about that. They have the main and most important responsibility to discharge in this respect. I will come to that a little later. But should not the family itself, the family members themselves, responsible? Because offences are taking place through the family members. Should we not, at least, speak out and say that this should not be done to women? And if we do not do it, and if we leave that area untouched, that is not good. In cities like Mumbai, Delhi and Kolkata, friendship is also responsible for this. Girls can be cautioned, boys can be enlightened; and the offence can be reduced. The entire society is also responsible for this. The responsibility has to be taken by the entire society also.

Then, education. I am very happy to note that one of the Members said that it is not enough to educate the girls, the boys also should be educated. When both of them are educated, the incidents of offence against women will come down. That was really a very good point. Education can really help.

Then attitude towards the victim also has to change. If the attitude does not change, it will be very, very difficult to see that the girl, who is offended, who is assaulted, will not come forward and give the witness. She would rather suffer throughout her life but keep her mouth closed because of the attitude we adopt in the society. If our attitude is of liberal attitude, if we understand the agony and if we understand that the victim is not responsible, and she should not be blamed for that, then, I think something can happen. A kind of cultural renaissance is necessary. Some people said that we have a very glorious culture; of course, we have a glorious culture. There are many, many good things in our culture. But then, there are some drawbacks to our culture also. Whenever we talk about Mahabharat and Ramayana, we should not forget that Mahabharat and Ramayana, in both the cases, it was women who suffered. This also should not be forgotten.

The police and the Government have the main responsibility, and it is quite legitimate for the Members to say that the law should be amended, the police machinery should be strengthened, and the disposal of cases should be very quick and the witnesses should be protected and, then, steps should be taken to see that the situation improves.

Sir, it is suggested that the law should be amended. Now we are in the process of amending the law, and I will come to this point a little later. Sensitise the police, yes. Sensitising the police is necessary and

we are trying to do that. Educate the people, yes we shall have to educate the people. And we shall have to empower the women also— economically, socially and politically. I am saying this very carefully. If you study the history of development, after we achieved Independence, this process has gone through—economic empowerment, social empowerment and political empowerment.

Sir, what kind of amendments are possible? Now, very thoughtful suggestions have been made by the hon. Members. We are in the process of amending the IPC. One of the things that has been suggested is change the definition of 'rape' itself. It is too narrow and it gives a lot of protection to the offender and it does not help the victim. We are of the same view and that would be done. It was also suggested to make the punishment more stringent. One hon. Member went to the extent of saying, 'let him be buried. Let him be stoned . And, let him be killed.' It was also stated that some extreme step should be taken against the offender. Another hon. Member said, 'why don't you award that punishment. 'That was a suggestion made. All these things are, probably, a little extreme. In the present day world, these ideas may not be acceptable. But, then, I am of the firm view that there is a scope for making this punishment more stringent. What is the punishment that can be awarded? They have said that seven years imprisonment can be awarded. It can be extended to life and death is not provided. And, again, it is provided, under Section 375, that this imprisonment of seven years can be reduced to less than seven years. That means: imprisonment of less than seven years can be awarded, imprisonment of seven years can be awarded and imprisonment for life can be awarded. Now, a person, who has been raped, suffers for entire life and she cannot forget it. What is the difficulty in awarding the life imprisonment if it is necessary? Why is it necessary to reduce it to seven years or less than seven years? I am of the view — I am not promising anything or giving any assurance — that if you make the punishment more stringent, it is possible. I am not for that punishment. I am not for any other kind of very extreme punishment. But, one can go up to life imprisonment and it is not necessary to reduce it less than seven years. This can also be provided. And, if there is some rationale in providing that, less than seven years imprisonment can also be awarded. Let us, first of all, understand what can be done. But, there is a scope and we will, certainly, look into it.

Sir, the Cr.P.C. has to be amended. We have amended the Cr.P.C. You will remember, in this-House itself, we had a very good discussion on the amendment to the Cr.P.C. It is provided in the amended Cr.P.C, now, that the women will be given full protection. If the victim is taken to the police station, the officer asking the question has to be a lady officer. If a lady officer is not available, some relative of the victim should be there. Immediately, in rape cases, medical examination should be done. And, if any person loses her life, or, is assaulted in police station, the judicial investigation will be a must. That means, it is not to be investigated by the police, but the judicial magistrate should investigate it. This kind of amendment we have already brought about in law and there are some other amendments we have also accepted in this House. A few days back, there was a Cr. P.C. (Amendment) Bill. It was suggested to us that the offences committed by husband or relative should be made bailable and compoundable. But, some friends over here opposed that kind of amendment and they were very right. They were very correct, because the figures show that most of the offences - 1/3rd of the offences - are committed by the family members. If 1/3rd of the offcences are committed by the family members and if the punishment is reduced to less than what should be awarded, then also it will be difficult. So, these kinds of amendments are there. There are some other amendments which would be required to be made in the Cr. P.C. and we will introduce them.

Law of Evidence is also there. In the Law of Evidence, we are trying to depend more upon the circumstantial evidence, the technological evidence which will be collected. Collecting the blood stains, examining the DNA profile and things like that. So, we are doing that. We have also made arrangements for proper investigation and quick disposal of the cases. There should be a large number of lady judges; there should be a large number of courts. But this does not stop here. I am very sorry to say that when we were talking about police activities, about the disposal of the cases, there were only a few Members, who spoke very forcefully. And, I thank them very much. There are many other things that are also to be considered by us. Should the person of a woman be utilized as something to earn money, either through advertisement or by following any other method? Most of the people were not very forthright in this matter. And, some of the people tried to give an explaination, "Look, this

is going to happen". I am not saying that it does not happen. But I am saying that let us understand the problem. If everyday, in the house, a child is watching something which can incite the child to do something, will it have an effect on the society or not? That is the question. If you have the naked figures of human beings exhibited on the roads, or, on some papers, or, in books, or, in magazines, or, on T.V., will it not happen? I am not saying that let us be puritan in this matter, But somewhere a line has to be drawn. And, if that line is not drawn, then, it is going to have an impact on the entire society. One of the things, which we are trying to do, and one of the hon. Members has suggested, is that compensation should be given. We are likely to accept the concept of compensation. We are accepting the concept of compensation in dealing with communal offences. In offences of this kind also, the concept of compensation may be accepted. If a lady, if a woman is assaulted then, the society and the Government should compensate for that But as to how it could be done, we can look into this matter a little later. Principally speaking, the concept of giving compensation to the victims of the offences is getting accepted not only in our country but throughout the world. And, this is going to give a lot of relief.

Sir, it may not be necessary for me to say anything more on this. I very sincerely, once again, thank the hon.. Members who have participated in this discussion.

श्रीमती माया सिंह: घन्यवाद, उपसभापति जी। अभी सम्माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि एक-तिहाई केसेज ऐसे होते हैं परिवार या नाते-रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं या वे महिलाएं घरेलु हिंसा की शिकार होती है। अभी पिछले सत्र में हम ने दो बिल पास किये-एक डॉमेस्टिक वायलेंस बिल और दूसरा संपत्ति के अधिकार वाला हिन्दु सक्सेसन बिल। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती देश की हमारे देश की जो परिस्थितियों हैं जिनमें महिलाएं इस तरह के अत्याचार की शिकार होती हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें इस बिल के माध्यम से अधिकार मिला है और वे इस अधिकार का उपयोग कर पाती हैं? वे महिलाएं जो विधवा हैं या परित्यक्ता हैं या जो इस तरह से शिकार होती है। वे महिलाएं जिन्हें ससुराल से निकाल दिया जाता है और मायके में उन का संपत्ति में अधिकार नहीं होता क्योंकि अगर वे उस के लिए कोशिश भी करती है तो ले नहीं पातीं। उन की परिस्थितियों ऐसी होती हैं कि उस महिला के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं और वह पढ़-लिखी भी नहीं होती है या उसे उस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वह एक असहाय महिला है ओर कोर्ट में नहीं जा सकती है। इस तरह ऐसी करोड़ों

महिलाएं हैं, हम ने जो बिल पास किये हैं, उन बिलों के बावजूद ये महिलाएं विपरित परिस्थितियों में इस तरह के हादसे का शिकार होती हैं वे सम्मानजनक जिन्दगी जी सकें, उन्हें न्याय मिल सके, इस व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि इस तरह के मामले में उन महिलाओं को मदद मिल सकें? मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगी कि हमने जो महिला आयोग बनाए हैं, women commission आप उनको इतना अधिकार दें कि वे इन अन्यायियों के लिए खौफ़ और बेसहारा बहनों के लिए सहारा बन सकें। क्या मंत्री जी ऐसा कदम् उठाएंगे क्योंकि अभी जो महिला कमीशन है, उनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वे ऐसे केसों में हस्तक्षेप कर सकें। वे सिर्फ सलाह-मशविरा देते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि महिला कमीशन को इतने अधिकार दें कि वे इस तरह के जो अन्यायी हैं, उनके लिए खौफ़ और जो हमारी बेसहारा बहने हैं या जिनके ऊपर अन्याय होता है, उनका सहारा बन सकें।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, regarding the Women Reservation Bill, we did not get any reply from the hon. Minister.

श्री शिवराज वी.पाटिल: श्रीमन्, यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि यह सारा समाज संसार जो चलता है, वह सरकार की मदद से जरूर चलता है। कोई भी एक संस्था होती है, उससे सरकार बहुत बड़ी होती है, मगर सरकार समाज से बड़ी नहीं होती। यह दायित्व समाज का भी है हम यहां पर कानून बनाएंगे, पुलिस की संख्या बढ़ायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है और हमने भी इस सदन में कहा है कि महिला पुलिस की संख्या, मुझे जो आंकड़े दिये गए हैं, उनके मुताबिक हमारे स्टेट की पुलिस की जो संख्या है, उसमें 3.2 प्रतिशत है सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलाकर देखें तो यह 2.5 प्रतिशत तक भी नहीं आती। हम 10 परसेंट तक दें, मगर क्या आप सारी चीजें सरकार के द्वारा ही करना चाहेंगी? अगर कानून बनाया गया है और घर के अन्दर उस कानून का ऊपयोग नहीं हो रहा है, तो दूसरे किसी को तो उसकी मदद करनी चाहिए। सरकार तो जाकर नहीं कहेगी कि तुम कोर्ट में जाओ, वगैरह-वगैरह।

यह एक दैव-दुर्विलास है। सर, दैव-दुर्विलास यह है कि हमने हिन्दु सक्सेशन एक्ट बनाया। महिला को पॉजेशन का राईट था, ऑनरशिप का नहीं था, वह दिया। महिला को ऐन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी अधिकार दिया, मगर बहुत-सारी बहनें अपने भाई की जायदाद का हिस्सा नहीं मांगती हैं, वे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यह उनकी मानसिकता है। उसके लिए सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है? वह मानसिकता बदलनी चाहिए। भाई की मानसिकता ही बदलनी चाहिए और बहन की भी मानसिकता बदलनी चाहिए। भाई की मानसिकता यह बदलनी चाहिए कि बहन को प्रॉपर्टी में हक देना चाहिए कि यह उसका एक हक है, जो उसको मिलना चाहिए। मगर यही जिम्मेदारी सरकार पर डाल दें तो कैसे चलेगा? हम इस तरफ बैठे हैं, इसलिए

सरकार पर डालें और आप इस तरफ बैठे हैं, तो हम सकेंगे कि सारा समाज ही यह करें। दोनों ही बातें गलत है। यह सब को मिलकर करना पड़ेगा। सरकार कानून बना सकती है, संस्थाएं बना सकती हैं। उनको सशक्त बना सकती है। मगर इसकेबाद का जो काम है, हम सब लोगों को मिल कर करना पड़ेगा।

महोदय, वूमेन कमीशन को एम्पावर करने की बात होतीहै। women commission एम्पावर करेंगे,लेकिन women commission के ऑफिसर्स पूरे हिन्दुस्तान में हर जगह नहीं हैं। उसको एम्पावर करने के बाद भी उन तक पहुंचना ही आपको मूश्किल हो जाएगा। सारी तरफ कोर्ट्स जरूर हैं, सारी तरफ अधिकार जरूर हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक एम्पावर करने को सवाल है, जरूरत है तो जरूर करेंगे। मगर सिर्फ एम्पावर करने से ही प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि उनको एम्पावर करने के बाद भी वह मशीनरी बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। तब तक कुछ भी नहीं होगा, न इधर का होगा और न उधर का होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

अब रिजर्वेशन की बात है। हम सब लोग अगर तय करें कि यह रिजर्वेशन होना है, जो वह बिल्कुल आसान बात है। मगर हम तय करें और लोगों के लिए कुछ तथा दिल में कुछ रखें तो वह काम करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अपना मन बनाने के लिए, आपको पूरा-पूरा फ्रीडम है। आप ही बताइए कि यह क्यों नहीं हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow, the 22nd December.

The House then adjourned at nineteen minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 22nd December 2005.